


प्र० २३.

८
२:३० PM

(नियम ४ देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र सेउत्तार प्रदेश.....(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन



भाग-१

हम.....उत्तार प्रदेश.....(राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए.....गारखुपुर झजाबाद खंडनातक क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नामसुव्रत लिपाठी.....(पिता/माता/पत्नि का नाम).....राजेश्वरी लिपाठी.....उसका डाक पता.....31219 विधाल रखाठी गोपनी नगर.....उसका नाम14 लखनऊ मध्य.....विधानसभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0320.....में क्रम सं0262.....परप्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम.....गारखुपुर झजाबाद खंडनातक.....परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

17.1.17 - 12.15 P.M.
AA and BB द्वितीय
राम
रम

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख	
1	2	3	4	5	6
1.	230	544	लालजी ओड़ा	लालजी ओड़ा	16.1.17
2.	230	1205	छुरू-दू पाठ्य	छुरू-दू पाठ्य	16.1.17
3.	230	174	जप मतारा	जप मतारा	16.1.17
4.	230	318	बालकूणि भासि	बालकूणि भासि	16.1.17
5.	230	275	पट्टु	पट्टु	16.1.17
6.	230	464	राजू-दू पाठ्य	राजू-दू पाठ्य	16.1.17
7.	230	199	दुर्गा जुनार ओड़ा	दुर्गा जुनार ओड़ा	16.1.17
8.	230	34	मा. गालम डासारे	मा. गालम डासारे	16.1.17
9.	230	31	ठाप्प ओड़ा	ठाप्प ओड़ा	16.1.17
*10.	230	281	प्राप्त जुनार कट्टर	प्राप्त जुनार कट्टर	प्राप्त 16.1.17

प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए।

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है:

(ख) मैंने 61 वर्ष की आयु पूरी कर ली है :

(ग) मैं इस निर्वाचन में मन्त्रुलाली पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं:

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है: और

(ङ.) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से

(राज्य) की विधान परिषद् के स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 16-01-17

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए :या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है :या

नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके)

लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

→ यह

यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांकलगाए गए

(ii) पुलिस थाना (थाने)लगाए गए जिला (जिले).....राज्य.....लगाए गए

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया थालगाए गए

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)लगाए गए

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया थालगाए गए

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुमाने) की राशि उपदर्शित करेंलगाए गए

(vii) कारागार से निमुर्ति की तारीख (तारीखें)लगाए गए

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हाँ/नहीं नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीखलगाए गए

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थेलगाए गए

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या यह/वे लंबित हैलगाए गए

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -लगाए गए

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)लगाए गए

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)लगाए गए

स्थान : गोपेश्वर

तारीख : 16-01-17

मुक्त लिपाई

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग 3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं 08

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 16-1-17 (तारीख) को 2:30 P.M. (बजे)

अध्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख 16-1-17


रिटर्निंग आफिसर

भाग 4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और

मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : 16-1-17 Form A
12:15 PM (4:00 PM) 3400 पैसे 16-1-17
तारीख 10-1-12 500 1 रिटर्निंग आफिसर



सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

मैं अपना नाम निम्न प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ।

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में

Suvrat Tripathi सुव्रत त्रिपाठी

स्थान : गोरखपुर

दिनांक : 16-01-17

सुव्रत त्रिपाठी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

मैं अपना नाम निम्न प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ।

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में

Suvrat Tripathi

सुव्रत त्रिपाठी

स्थान : गोरखपुर

दिनांक : 16-01-17

सुव्रत त्रिपाठी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक - दस
(अध्याय-5 पैरा 21(2))

शपथ या प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं.....मुख्ति.....तिपाठी.....

जो विधान परिषद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

मुख्ति तिपाठी मुख्ति तिपाठी
(उम्मीदवार के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमतीसुदूर तिपाठी.....

ने आज दिनांक 16-1-17

(माह).....जनवरी.....2017.....

को सातावें पाताल बुधी

(स्थान) पर2.40 P.M.

बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम
पदनाम और मुहर)

..... । (तारीख) का (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटिंग आफिसर

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1)निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3)(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4)(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

+यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए-

- (1) अभ्यर्थी।
- (2) अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।
- (3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

प्ररूप 8
(नियम 12(1) देखिए)
निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति
..... *के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग आफिसर,

मैं जो का हूँ और ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा
..... कल को ऊपरवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

स्थान

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूँ।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....

¹अनुमोदित

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रा

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

સર્વોત્તમાન

સંપર્ક વિભાગ	સંપર્ક વિભાગ	સંપર્ક વિભાગ	સંપર્ક વિભાગ	સંપર્ક વિભાગ	સંપર્ક વિભાગ
1	2	3	4	5	6
ગોરખપુર-ફેઝાબાદ ખણ્ડ સ્નાતક નિર્વા�ન ક્ષેત્ર કે નિર્વાચન કે સમ્બન્ધ મેં જમાનત કી ધનરાશિ					

8443 - સિલિ જમા-121-નિર્વાચનોं કે સંબંધ મેં જમા-1 રાજ્ય/સંબંધ રાજ્ય ક્ષેત્રોં કે વિધાન મણ્ડળોં કે લિએ અભ્યર્થીઓં દ્વારા જમા કી ગઈ ધનરાશિ

સર્વોત્તમાન - પાત્ર

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रलेप 9

(नियम 12(2) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

..... *के लिए निर्वाचन

प्रेषिती-

रिटर्निंग आफिसर,

मैं जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता,
की नियुक्ति प्रतिसंहरण करता हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* यहां निम्नलिखित अनुकूलपों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1)निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3)(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4)(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रलेप 10

(नियम 13(2) देखिए)

* * मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

..... * * के लिए निर्वाचन

मैं.....जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में 'अभ्यर्थी हूँ.....का, जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है,
निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा.....(.....(नाम और पता) को).....में.....(संख्यांक वाले
'मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए नियत स्थानमें हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त
करता हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

'अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपरवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 द्वारा, *जो
मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूँगा।

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख.....

पीठासीन आफिसर

*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

** यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

(1)निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3)(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4)(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6)निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

‘‘जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

‘‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128-

“128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।”

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्रलेप 11
(नियम 14(1) देखिए)
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण
..... *के लिए निर्वाचन

प्रेषिती-

रिटर्निंग आफिसर,
मैं जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी (..... का निर्वाचन अभिकर्ता) अपने/उसके
मतदान अभिकर्ता को नियुक्ति एतद्वारा प्रतिसंहृत करता हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

* यहां निम्नलिखित अनुकूल्यों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए -

- (1) निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

विशेष टिप्पणी- () से चिन्हित शब्द, यदि उन्हें छोड़ देना आवश्यक हो तो, छोड़ दीजिए।

प्रलेप 12
(नियम 19 और 20 देखिए)
रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापना पत्र

प्रेषिती-

..... सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

रिटर्निंग आफिसर

महोदय,

विधान सभा

मैं विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामवली के भाग सं0..... में क्रम सं0..... पर प्रविष्ट है।
मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए -

.....
.....
.....

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय,

अनुबंध-Vड.

रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र सेकी विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा/.....की विधान परिषद के लिए निर्वाचन

ज्ञापन सं.

तारीख.....

सेवा में,

अभ्यर्थी का नाम

आपको सूचित किया जाता है कि आपने संविधान के अनुच्छेद 84(क)/अनुच्छेद 173(क) द्वारा यथापेक्षित शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह नामनिर्देशन के लिए निर्धारित तारीख से पूर्व किसी दिवस को मेरे समक्ष या इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष किया जा सकेगा।

तारीख.....

हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर

.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र से.....की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा/.....की विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु रिटर्निंग आफिसर से तारीख.....ज्ञापन सं.....प्राप्त हुआ।

स्थान.....

अभ्यर्थी या प्रस्तावक

के हस्ताक्षर

तारीख.....

अनुबंध-Vग

रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

परिषद निर्वाचन क्षेत्र से.....विधान परिषद के लिए निर्वाचन

ज्ञापन सं.....तारीखः.....

सेवा में,

.....(अभ्यर्थी का नाम),

आपने अपने नामनिर्देशन पत्र में उल्लेख किया है कि आप.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक हैं किन्तु आपने उसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में, आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उप-धारा(5) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

“जहां अभ्यर्थी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है वहां उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की प्रति या ऐसी नामावलियों में सुसंगत प्रविष्टियों का प्रमाणित प्रति, जब तक कि इसे नामनिर्देशन पत्र के साथ दाखिल नहीं किया गया है, समीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

आज.....परिषद निर्वाचन क्षेत्र से.....की विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु रिटर्निंग आफिसर से

तारीख.....को ज्ञापन सं.....प्राप्त हुआ।

स्थान.....

अभ्यर्थी या प्रस्तावक का नाम

तारीख.....



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संख्या :-

11AD 563982

निवाचन आधिकारी
गोरखपुर ज़िला दरोज़ दातक स्थित
विधान पोखरा, उ.प.

संलग्न :-

प्रस्तुप २६

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp
15-117



प्रस्तुप
दूष्पत लिपिभाषा
मुक्त विपासना

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रलेप 26

(नियम 4क देखिए)

जोतेश्वरपुर उज्ज्वल नातक
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विधायक सभा
के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग-अ

मैं, सुब्रत तिपाठी **पुत्र/पुत्री/पत्नी..... राजेश्वरपुर तिपाठी आयु..... 61..... वर्ष, जो जोतेश्वरपुर का 3
निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अध्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :--

(1) मैं एक अध्यर्थी हूं जिसे... मुख्याधी पर्ही (*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है/निर्दलीय अध्यर्थी
के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम जोतेश्वरपुर उज्ज्वल नातक उत्तरप्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में क्रम सं 604 पर, भाग सं 230 में प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9519259187 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं और..... लागू न होई-मेल पता (यदि कोई हो) हैं।

(4) स्थायी खाता संख्या (पेन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्तिती

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	आय-कर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपये में)
1. स्वयं	सुब्रत तिपाठी	ACMPT5127A	2016-17	2933248
2. पति/पत्नी	जोतेश्वरपुर तिपाठी	ASSPT01087	कुदनसी	कुदनसी
3. आश्रित-1	कुदनसी	कुदनसी	कुदनसी	कुदनसी
4. आश्रित-2	कुदनसी	कुदनसी	कुदनसी	कुदनसी
5. आश्रित-3	कुदनसी	कुदनसी	कुदनसी	कुदनसी

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :--

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू न हो
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू न हो
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू न हो

सुब्रत तिपाठी

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किए है	लाइब्रेरी
(ङ.)	तारीख जिस पर आरोप विरचित किए गए	लाइब्रेरी
(च)	क्या सभी या किसी कार्रवाई पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लाइब्रेरी

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है उपर मद (त)में लिखित मामलों के अलावट :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	लाइब्रेरी
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लाइब्रेरी
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों (यदि कार्ड हैं), के ब्यौरे	लाइब्रेरी

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :
निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लाइब्रेरी
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लाइब्रेरी
(ग)	अधिरोपित दंड	लाइब्रेरी
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति :	लाइब्रेरी

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और अस्थाई आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूँ :


का ब्यौरा संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2: निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3: वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4: आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।



मुद्रित निवेदित

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY 15-11-17
District Court, Gkn

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

टिप्पण 5: प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम व्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

क्रो सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	हाथ में रोकड़	३ लारव	। भारव	कुमारी	कुमारी	कुमारी
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के व्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	अ५-ला-भारव । भारव कुमारी सप्त वा भारव ४२८१९८५३ ओवा वा ४६५१८७		कुमारी	लारव	लारव लारव
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के व्यौरे और रकम	कुमारी	कुमारी	लारव	लारव	लारव
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसीयों में विनिधान के व्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	कुमारी	कुमारी	लारव	लारव	लारव
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	कुमारी	कुमारी	लारव	लारव	लारव
(vi)	मोटर यान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का व्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	स्टीफर छिङ्ग २०१६ ३ लारव	लारव	लारव	लारव	लारव
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के व्यौरे)	१०० ग्राम रुपय ३ लारव	२०० ग्राम रुपय ६ लारव	लारव	लारव	लारव
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/व्याज	रिहाय्व राजपा कन्दू ३ लारव	कुमारी	लारव	लारव	लारव
(ix)	सकल कुल मूल्य	६३५९१०	७०००००/-	लारव	लारव	लारव

ख स्थावर अस्तियों के व्यौरे:

टिप्पण 1: संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।


टिप्पण 2: इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

Marendra Nath Tripathi
NOTARY
Public Court, Gkn
15-1-17

मुकुर त्रिपाठी

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	लग्नपुर गाँव जगरहपुर	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	17 एकड़	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1986	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागर गाई	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागर गाई	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	25 लारव	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
(ii)	गैर कृषि भूमि: स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	लग्नपुर जगरहपुर	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	5000	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1986	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागर गाई	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागर गाई	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	25 लारव	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान जि+सर्वेक्षण संख्यांक (SKP)	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लालू नी	लालू नी	लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लालू नी		लागर गाई	लागर गाई	लागर गाई



S. N. Tripathi
NOTARY PUBLIC
MUMBAI

15-17

सुव्रत तिपाठी

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(iv)	आवासिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -स्थान -सर्वेक्षण संख्यांक	जोगली इंडियर लखनऊ	लागू हो	लागू नहीं	लागू हो	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	3600	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	3000	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	80 इंडियर	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	25 लाख	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	1 करोड़	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	लागू हो	लागू हो	लागू	लागू	लागू हो
(vi)	ऊपर (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	3 करोड़ 75 लाख	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो

8 मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरें नीचे देता हूं-

टिप्पणी : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरें दें।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, COURT (GKP) देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	कोई अन्य दायित्व	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	दायित्वों का कुल योग	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(ii)	सरकार के देय : सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
	टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkn

U-117

मुख्य विपाठ

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

विभाग को देय	लाभने	लाभ नहीं	लाभने	लाभ नहीं	लाभने
सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकॉप्टरों सहित)	लाभने	लाभ नहीं	लाभने	लाभ नहीं	लाभने
आय-कर देय	लाभने	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभने	लाभ नहीं
संपत्ति कर देय	लाभने	लाभ नहीं	लाभने	लाभ नहीं	लाभने
सेवा कर देय	लाभने	लाभ नहीं	लाभने	लाभने	लाभने
नगरपालिका/संपत्ति कर देय	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने
बिक्री कर देय	लाभ नहीं	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने
कोई अन्य देय	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने
(iii) सरकार के सभी देयों का कुल योग	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने	लाभने

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... अकामा एवं सेवानिवृत्तपञ्चनर
(ख) पति/पत्नी.....

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

वृत्त यु उपजावका के बार : ००
of. ५. पल. पल. off- १९७६ सन् १८ अगस्त १९८०

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरें दें, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरें दे जिसमें पाठ्यक्रम पारा किया गया था।)

भाग ख

(11) भ्राग (क) के (1) से (10) में दिए गए व्यौरों का सार :

1.	अभ्यर्थी का नाम	सुवित (लिपाठी)
2.	लोक का पूरा पता JITENDRA NARAYAN HIRAWAT	उमेर २७ विशाल खटोड़ गोमती नगर लखनऊ प्रादेशिक फाजी बाजार रोड स-१०८
3.	निवासन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य District & State Rajasthan	मनुवादी पाठी
4.	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय लिखें)	लोक नवी
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	लोक नवी
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लोक नवी
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारबास से दंडादिष्ट किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	लोक नवी

S. J. Sankar
S. J. Sankar
Lokendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gka.

15-117

मुक्ति दिवाली

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पी ए एन)	वह जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	दर्शाई गई कुल आय
	(क) अभ्यर्थी	ACPT 5127A	2016 - 2017	2933948
	(ख) पति/पत्नी	ASPT 6108 प	लागू हो	लागू हो
	(ग) आश्रित	लागू हो	लागू हो	लागू हो
8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपयों में ब्यौरे			
अ.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1
अ.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	6354910/-	7 00000/-	भाग दृष्टि
आ.	स्थावर आस्तिया			लागू हो
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	80 हजार	लागू हो	भाग दृष्टि भाग दृष्टि भाग दृष्टि
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	25 लाख	लागू हो	भाग दृष्टि भाग दृष्टि भाग दृष्टि
III	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासिती आस्तियों (कुल मूल्य), की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1 करोड़ 3.75 करोड़ 4.75 करोड़	लागू हो	भाग दृष्टि भाग दृष्टि भाग दृष्टि
9.	दायित्व	लागू हो	लागू हो	लागू हो लागू हो लागू हो
(i)	सरकार के देय (कुल)			लागू हो लागू हो लागू हो
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू हो	लागू हो	लागू हो लागू हो लागू हो
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त है	लागू हो	लागू हो	लागू हो लागू हो लागू हो
(i)	सरकार के देय (कुल)	लागू हो	लागू हो	लागू हो लागू हो लागू हो
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू हो	लागू हो	लागू हो लागू हो लागू हो
11.	★ उच्चतम शैक्षिक अर्हता : बी-रु-रु-रु-रु-की १९८८ इलारामाय विधिपाल (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दृष्टि विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)			

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शापथ पत्र की अंतवर्स्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई सालिक बात छिपाई नहीं गई है। मेरे यह भी घोषित करता हूँ कि :-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी सा मेरे आश्रित की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

स्थान पर आज तारीख १६-०१-१७ को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए

टिप्पणी 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में काई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो “कुछ नहीं” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपाठ्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।

Suk
Nitendra Nath Tripathi US-117
NOTARY
District Court, Gkn

मुक्त विपाक

Declaration by candidate/election agent/proposer while submitting the photograph of the candidate

Subject- Election to Uttar Pradesh State Legislative Council (mention the name of the House) from Gorakhpur - Faizabad Constituency (name of the constituency)/election to Council of States/Legislative Council by Assembly Members.

Saurat Tripathi

(name and address), Son/daughter/wife of Sh. Rakeshwar Lal Tripathi nominated as candidate for the abovementioned election, am submitting herewith my photograph for the purpose of printing the same on the ballot paper, I declare that the photograph has been taken during the last 3 months before the date of notification of election.

(fill up this part when the candidate himself is submitting the photograph)

OR

I _____ (name), election agent/proposer of Sh. _____

Sh. _____ (name and address of the candidate), son/daughter/wife of Sh. _____ a candidate for the abovementioned election, hereby submit the photograph of the said candidate for the purpose of printing the same on the ballot paper I declare that the photograph has been taken during the last 3 months before the date of notification of election.

(fill up this part when the election agent/proposer is submitting the photograph).

Date 16/11/2017

Name Held Patel
Address Hishol Khand 3/27
Sector 10, Gorakhpur
Tel No. 9519 259187

Original/Duplicate
(Original to be kept with nomination paper and
Duplicate to be handed over to candidate)

Notice by Returning Officer for non-submission of Photograph of the candidate

Name of constituency
Name of the candidate
Date and time of filling nomination paper
Sl. No. of nomination paper

As per the direction of the Election Commission, photograph of the candidate is required to be printed on the ballot paper.

It is hereby brought to your notice that you have not submitted your photograph for this purpose.

You are required to submit to submit your photograph by 3 P.M. on _____ (date fixed for scrutiny of nominations)

The specification for the photograph are as follows:

- (i) Candidates are required to submit their recent photograph (taken during the proceeding period of 3 months before the date of notification).
- (ii) Photograph should be stamp size 2cm X 2.5cm (two cm in breath and 2.5 cm in height) in white/off white background with full face view directly facing the camera natural facial expression with eyes open. The Photo may be in colour or black and white as may be convenient for the candidate.
- (iii) Photo graph should be in normal clothing, Photograph in uniform is not permitted. Caps/hats should be avoided. Dark glasses has also to be avoided.

The Photograph has to be submitted along with the declaration in the enclosed format.


It may be noted that if photograph is not submitted by the time mentioned above, your photo will not be printed on the ballot paper.

Received

.....
(Signature of candidate)

.....
Signature of RO/ARO

Date & time
Place



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष :-

11AD 563984

निविचन अधिकारी,
गोरखपुर फौजाबाद बोर्ड सारक्षण
विधान पोष्ट - ३-५.

संलग्न :-

एनेफस



Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
Distt. Court. Gkp

15-1-17

जितेंद्र नाथ त्रिपाठी
मुख्य निविचन
मुख्य निविचन

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to MEMBER OF LEGISLATIVE COUNCIL (Name of the House),
from GORAKHPUR FAZABAD constituency.

I...SUVARATRI PATHI (name of candidate), son/daughter/wife of RAMESHWARI TRIPATHI aged.....61.....years, resident of GOMATI NAGAR LUCKNOW.....a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under :-

- (i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

- (ii) I have been allotted govt. accommodation at _____ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior of the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on _____ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).
- (iii) "No dues certificated" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at GORAKHPUR this the 15th day of JANUARY 2017

DEPONENT

Jitendra Nath Tripathi

Jitendra Nath Tripathi
NOTARY
District Court, Gkp
15-1-17

ट्रेजरी - चालान

संख्या.


.ट्रेजरी/स्टेट बैंक का नाम:

.....मारतीय दृष्टिकोण.....

अध्यर्थी का नाम	नाम पद व पता जिसकी ओर से	जमा किये जाने का उद्देश्य	धनराशि	लेखाशीर्षक	बैंक के लिए
1	2	3	4	5	6
राजेश अग्रवाल	राजेश अग्रवाल पर्सनल एसिस्टेंट गोरखपुर-फैजाबाद छण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के सम्बन्ध में जमानत की धनराशि परिमाण ३५०००/- ३.५.	गोरखपुर-फैजाबाद छण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के सम्बन्ध में जमानत की धनराशि	₹ 10,000 = ०० (१०)	8443- सिविल जमा-121-निर्वाचनों के संबंध में जमा-1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डलों के लिए अध्यर्थियों द्वारा जमा की गई धनराशि	5

धनराशि शब्दों में

605 0026



कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ

टोने फ्री नम्बर-18001801950 ई-मेल lucknowadeo@gmail.com दूरभाष -0522-2623739
रजिस्टर क्रमांक- 19 जारी करने की तिथि- 13-1-2017

उद्धरण प्रमाणित

राज्य—उत्तर प्रदेश, जिला—लखनऊ, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम... ३५ (परकाळ) (सामाय)
 के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम... १७५- (परकाळ मुद्द्य शाब्दिक) के वर्ष... २०१७
 मतदान स्थल संख्या व नाम... ३२० तहसील... विद्यापीठ विशाल रुपड गोमती नगर-
 भाग संख्या ३२० तहसील... लखनऊ विकास खण्ड... X
 नगर/मुख्यग्राम... लखनऊ पंचायत/वार्ड... रामी ४६८५ लिंदवाड नगर
 अनुभाग(मुहल्ला/ग्राम)... लखनऊ विशाल रुपड - ३ गोमती नगर थाना... गोमती नगर डाकधर... गोमती नगर
 पिन कोड ३२६० १० के क्रमांक २६२ से X तक का निम्न विवरण सत्यापित-

मतदाता क्रमांक	मकान नम्बर	निर्वाचक का नाम	सम्बन्ध	सम्बन्धी का नाम	लिंग	अनुमानित आयु (01.01.2017)	फोटो पहचान पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
✓ 262	✓ 3/279	सुमित्रा शिखाठी	पिता	इव. राजेश्वरी प्रलाद	पुरुष	61	XGF0755637

उपरोक्त उद्धरण हेतु आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में ट्रेजरी चालान
नंम्बर ६० २००९८ दिनांक १३-१-१७ द्वारा रूपये १३० रुपये दर्शाया गया है।

प्रतिलिपिकर्ता के हस्ताक्षर.....Om

सिलानकर्ता के हस्ताक्षर.....



उत्तरण प्रमाणित

महाराज चिला निवाचन अधिकारी

FORM A

Communication with regard to Authorised Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political Party or Registered UNRECOGNISED political party.

(See paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968)

To,

1. The Chief Electoral Officer,
Uttar Pradesh (State/Union Territory)

2. The Returning Officer for the
Gorakhpur - Faizabad graduate (M.L.C.) Constituency

Subject : General Election to *Legislative Council P.* from (State/Union Territory) - Allotment of Symbols - Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the party, which is National Party/State Party in the State of *U.P.* / Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District(s) / area (s) constituency/constituencies in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1. <i>Suvrat Tripathi</i>	<i>National President.</i>	<i>Gorakhpur.</i>
2.		
3.		

FORM B

Notice as to name of candidate set up by the political party
[See paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols
(Reservation and Allotment) Order 1968)]

To,

Gorakhpur - Faizabad (graduate) Constituency.

Subject :-

General/bye Election to Legislative Council Gorakhpur - Faizabad graduate Constituency in U.P. From (Name of the Constituency) in (State/Union Territory) - setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the ~~Election Symbols~~ ~~Manuvadi Party~~ (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of ~~the~~ ~~Manuvadi Party~~ (Party)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate.

at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the constituency	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's / Mother's/ Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate

FORM 'AA'

**COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED
PERSONS TO INTIMATE NAME OF CANDIDATES
SET UP BY THE POLITICAL PARTY**

FOR USE AT ELECTIONS TO COUNCIL OF STATES
AND LEGISLATIVE COUNCIL

To

1. The Chief Electoral Officer,
U.P. (State/Union Territory).
- *2. The Returning Officer for the biennial/bye-election to the Council of States/Legislative Council by Assembly members

OR

*The Returning Officer for the biennial/bye-election from
Gorakhpur (Constituency).
(Graduate)

Subject : Biennial/Bye-election to Council of States/ Legislative Council from
 U.P. (State/ Union Territory-Authorization of person(s) to intimate
 name(s) of candidate(s).

Sir,

I hereby communicate that the following Person has/have been authorised by *Manuvedi* Party, which is a National Party/State Party/Registered Unrecognized Party in the State of to intimate the name(s) of the candidate(s) proposed to be set up by the Party at the election cited above :-

Name of person authorised to send notice	Name of Office held in the party	District(s)/area(s)/Constituency/ Constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
1. <i>Suvrat-Tripati</i> National President - Gorakhpur.		
2.		
3.		

2. The specimen signature of the above mentioned person(s) so authorised are given below :

1. Specimen signatures of Shri Suvrat Trivedi
(i) सुव्रत त्रिवेदी (ii) सुव्रत (iii) त्रिवेदी
2. Specimen signatures of Shri
3. Specimen signatures of Shri

Place
Date

National President
Manuvadi Party
Lucknow, India

Yours faithfully
(Name in Capital letters)
President/Secretary
Name of the Party
(Seal of the Party)

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Place
Date

National President
Manuvadi Party
Lucknow, India

Yours faithfully,
Name (in block letters)
and Signature of the authorised
Person of the Party
(Name of the Party)
(Seal of the Party)

* Strike out whichever is not applicable.

**Mention name of Graduates'/Teachers'/Local- Authorities' Constituency, as the case may be.

Name of Constituency***	Name of approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approval candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the event of approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or his withdrawal from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7
1. Suvrat Gorakhpur Faiabad etc.	Suvrat Tripathi	Lat Sri Rakeshwar P. Tripathi	3/279 Vishal Jewellers Gomti Nagar Lucknow	X	X	X

2. * The notice in Form 'BB' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri Suvrat Tripathi as party's approved candidate, and Shri/Smt./Sushri as party's substitute candidate is hereby rescinded.
3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party

Place Lucknow,
Date 10-01-2017

B.G.D.
National President
Manuvadi Party
Yotna
Lucknow, India
Name (in block letters)
and Signature of the authorised
Person of the Party
(Name of the Party)
(Seal of the Party)

* Strike out whichever is not applicable.

** Mention names of Graduates'/Teachers'/Local Authorities' Constituency, as the case may be.

*** Under this column mention name of the Constituency, as 1. By Assembly Member, 2.Graduates'

Constituency, 3.Teachers' Constituency, 4. Local Authorities' Constituency, as the case may be.

\$ If more than one candidate is to be elected from the Constituency.

N.B.-

- 1 This must be delivered to the Returning Officer and Chief Electoral Officer *not later than 3.00 p.m. on the last date for the making nominations.*
- 2 Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of runner stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
- 3 No Form transmitted by fax shall be accepted.
- 4 Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.

ANNEXURE V-F

FORM 'AA'

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED
PERSONS TO INTIMATE NAME OF CANDIDATES
SET UP BY THE POLITICAL PARTY

FOR USE AT ELECTIONS TO COUNCIL OF STATES
AND LEGISLATIVE COUNCIL

To

1. The Chief Electoral Officer,
U.P. (State/Union Territory).

*2. The Returning Officer for the biennial/bye-election to the Council of States/Legislative Council by Assembly members

OR

*The Returning Officer for the biennial/bye-election from
Gorakhpur - Faizabad (Constituency).
(Graduate)

Subject : Biennial/Bye-election to Council of States/ Legislative Council from
U.P. (State/ Union Territory-Authorization of person(s) to intimate name(s) of candidate(s).

Sir,

I hereby communicate that the following Person has/have been authorised by Manuvadi Party, which is a National Party/State Party/Registered Unrecognized Party in the State of to intimate the name(s) of the candidate(s) proposed to be set up by the Party at the election cited above :-

Name of person authorised to send notice	Name of Office held in the party	District(s)/area(s)/Constituency/Constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
1. <u>Surendra Pratap Singh</u>	National President	<u>Gorakhpur</u>
2.		
3.		

अनुबंध-V४

प्ररूप 'खड़'

राज्य सभा और विधान परिषद के निर्वाचनों में प्रयोग हेतु राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के नाम की सूचना

सेवा में

1. सेवा में मुख्य निर्वाचक अधिकारी
V.P. (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)
- *2. विधान सभा सदस्यों द्वारा राज्य सभा/विधान परिषद के द्विवार्षिक/उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर,

Gorakhpur-fazilabad (Graduate) या
(निर्वाचक क्षेत्र) से द्विवार्षिक/उप निर्वाचन के लिए *रिटर्निंग आफिसर

विषय:- (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश) से राज्य सभा/विधान परिषद के लिए निर्वाचन- अभ्यर्थियों को खड़ा किया जाना।

महोदय/महोदया,

मैं *Manuvadi kalyan* (दल) की ओर से एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि-

i) वह व्यक्ति (यों) जिसका (जिनका) विवरण नीचे कॉलम (2) से (4) में दिया गया है, उपर्युक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है/हैं और

ii) वह व्यक्ति (यों) जिसका (जिनका) विवरण नीचे कॉलम (5) से (7) में दिया गया है, दल का स्थानापन अभ्यर्थी है/हैं जो अनुमोदित अभ्यर्थी (यों) के नाम निर्देशन की जांच किए जाने पर उसे रद्द करने अथवा इस निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले साधारण/उप-निर्वाचन वाले राज्य सभा/राज्य विधान परिषद के आगामी द्विवार्षिक/उप निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापिस लेने, की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी का स्थान लेगा यदि स्थानापन अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है/हैं:

निर्वाचन क्षेत्र का नाम***	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक पता	स्थानापन अभ्यर्थी का नाम जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की जांच किए जाने पर उसे रद्द करने अथवा निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापिस लेने की स्थिति में उसका स्थान लेगा यदि स्थानापन अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	स्थानापन अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	स्थानापन अभ्यर्थी का डाक पता
1	2	3	4	5	6	7
प्रभावान्तरी नामः आवाहन लिपाठि	सुश्री विपाठि	विपाठि	३१२७९ विपाठि लिपाठि	५	५	५
2						
3						
4 आदि						

अधिसूचना संख्या-56/97/जुडिशियल-111, तारीख 15.12.1997 के द्वारा अंतःस्थापित द्वारा किया गया।

2. दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री (उपर लिखा) दल के स्थानापन अभ्यर्थी के रूप में श्री/सुश्री के पक्ष में पहले प्ररूप 'खख' में दी गई सूचना को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रत्येक अभ्यर्थी इस राजनीतिक दल का सदस्य है और उसका नाम इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत शामिल है।

मुख्य लिपाठि
 (दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (गोरे अक्षरों में और हस्ताक्षर)
National President
Manuvadi Party
 Lucknow, India (दल का नाम)
 (दल की मुहर)

स्थान
 तारीख 10-01-2017

यदि लागू नहीं होता तो काट दें।

**यथास्थिति स्नातक/शिक्षक/स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम

*** इस स्तंभ के अधीन निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखें, जैसे कि यथास्थिति, (1) विधान सभा सदस्य द्वारा, (2) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, (3) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, (4) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 5 यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जाना है।

टिप्पणी:

गोरखपुर-पूजा १५ (नातू)

या

(निर्वाचन क्षेत्र) से द्विवार्षिक/उप निर्वाचन के लिए *रिटर्निंग आफिसर

विषयः-

(राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश) से राज्य सभा/विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक/उप निर्वाचन-अभ्यर्थी (र्थियों) के नाम (मों) को सूचित करने के लिए व्यक्ति (यों) का प्राधिकार।

महोदय/महोदया,

मैं एतदद्वारा यह सूचित करता हूँ कि **मुख्यादी** दल, जो कि **उत्तर** राज्य में राष्ट्रीय दल/राज्य दल/राजस्त्रीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को प्राधिकृत किया गया है जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए खड़े किए जाने वाले प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देगा/देगें:-

नोटिस भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद	जिला(जिलों)/क्षेत्र(क्षेत्रों)/निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिए प्राधिकृत किया गया है
1. मुख्यादी	राज्य सभा	गोरखपुर
2.		
3.		

अधिसूचना संख्या-56/97/जुडिशियल-111, तारीख 15.12.1997 के द्वारा शामिल किया गया।

2. उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति (यों) के हस्ताक्षर के नमूने नीचे दिए गए हैं:-

1. श्री.....**मुख्यादी** के हस्ताक्षर के नमूने (i). **मुख्यादी** (ii). **मुख्यादी** (iii). **मुख्यादी**

2. श्री.....**मुख्यादी** के हस्ताक्षर के नमूने (i). (ii). (iii). **मुख्यादी**

National President
Manuvadi Party
Lucknow, India

मुख्यादी

भवदीय/भवदीया,

(बड़े अक्षरों में नाम),
अध्यक्ष/सचिव,
दल का नाम

स्थान.....
तारीख.....

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी, जिसका नाम ऊपर उल्लिखित है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है और उसका नाम इस दल के सदस्यों की नामावलियों में सम्यक रूप से विद्यमान है।

National President
Manuvadi Party
Lucknow, India

विपाय

भवदीय/भवदीया,

हस्ताक्षर

(दल का नाम)

(दल की मुहर)

स्थान लखनऊ
तारीख १०-०१-२०१७

दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (मोटे अक्षरों में) और
(दल का नाम)
(दल की मुहर)

*जो लागू न हों उसे काट दें

**यथास्थिति, स्नातक/शिक्षक/स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम

टिप्पणी:-

1. नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न से पहले इसे रिटर्निंग आफिसर और मुख्य निर्वाचक अधिकारी को सौंप दिया जाना अनिवार्य है।
2. प्ररूप पर उपर्युक्त पदधारी (पदधारियों) द्वारा स्पाही से हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी पदधारी के प्रतिकृति हस्ताक्षर अथवा रबड़-मुहर के रूप में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होगा।
3. फैक्स द्वारा भेजा गया कोई प्ररूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्ररूप का पैरा ॥ यदि लागू न हो तो उसे काट दिया जाना चाहिए या लागू हो तो उसे समूचित रूप से भरा जाना चाहिए।